

अनुदान संख्या 24 – पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
GRANT No. 24 - MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	22356,60,00	27747,97,00	23802,80,42	-3945,16,58
पूरक	Supplementary	5391,37,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3930,62,76

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹394516.58 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹539137.00 लाख के पूरक अनुदान का 73 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (₹394516.58 lakhs) constituted 73 percent of the supplementary grants of ₹539137.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and 14 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2215”	Major Head “2215”				
जल पूर्ति तथा सफाई	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	45050.00	15628.06	14178.58	-1449.48
पू.	S.	34.00			
पु.	R.	-29455.94			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	223431.00
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-223432.00			

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	1963579.00		
पू.	S.	539101.00	2364633.13	2364629.13
पु.	R.	-138046.87		-4.00
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	2250.00
पु.	R.	-2250.00		..

(I) ₹225682.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹225632.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹225682.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised under six heads; of these ₹225632.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552"-

(क) "जल पूर्ति - ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" - ₹70000.00 लाख; और

(a) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - National Rural Drinking Water Programme" - ₹70000.00 lakhs; and

(ख) "मलजल और स्वच्छता - स्वच्छता सेवाएं - स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)" - ₹153432.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

(b) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)" - ₹153432.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)” – ₹2200.00 लाख – संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “2215” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:—

(का) “जल पूर्ति – ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” – ₹7130.77 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8951.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) “मलजल और स्वच्छता – मलजल सेवाएं – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)” – ₹23773.79 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹36101.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एंजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:—

(का) “केन्द्रीय सहायता/शेयर – राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” – ₹26419.00 लाख की बचत (₹397016.00

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)” - ₹2200.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from the Union Territory Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) Under Major Head “2215” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Water Supply - Rural Water Supply Programme - National Rural Drinking Water Programme” - saving of ₹7130.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8951.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(B) “Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)” - saving of ₹23773.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹36101.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - National Rural Drinking Water Programme” - saving of ₹26419.00

लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

lakhs (against the sanctioned provision of ₹397016.00 lakhs);

(खा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” –

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(क) “राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” – ₹32990.00 लाख की बचत (₹153989.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(a) “National Rural Drinking Water Programme” - saving of ₹32990.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹153989.00 lakhs);

(ख) “स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)” – ₹60003.66 लाख की बचत (₹337548.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(b) “Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)” - saving of ₹60003.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹337548.20 lakhs);

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –

(C) “Tribal Area Sub-Plan” -

(क) “राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” – ₹14997.00 लाख की बचत (₹69995.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(a) “National Rural Drinking Water Programme” - saving of ₹14997.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹69995.00 lakhs); and

(ख) “स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)” – ₹23224.92 लाख की बचत (₹153431.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(b) “Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)” - saving of ₹23224.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹153431.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above five heads were due to non-receipt of viable proposals from the State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹19587.71 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर – स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)” के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹19587.71 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)”.